भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 671
जिसका उत्तर बृहस्पतिवार 08 फरवरी, 2018 को दिया जाना

पीएसयू को बंद किया जाना

671. श्री माजीद मेमन:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार रणनीतिक बिक्री हेतु लगभग 20 पीएसयू (लाभ कमाने वाली के साथ-साथ घाटे में चलने वाली) को बंद करने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा प्रत्येक इकाई को बंद करने के लिए निर्धारित समयसीमा, चल संपत्ति के निपटान तथा भूमि की बिक्री हेतु निर्धारित समयसीमा क्या है; और

(ग) प्रभावित कर्मचारियों की संख्या, प्रस्तावित वीआरएस पैकेज तथा वीआरएस नहीं अपनाने वाले कर्मचारियों की छंटनी का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) सरकार ने भारी उद्योग विभाग के अंतर्गत पांच केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसईज) नामतः हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड (एचसीएल), तुंगभद्रा स्टील प्रोड्कट्स लिमिटेड (टीएसपीएल), एचएमटी वाचिज लिमिटेड, एचएमटी चिनार वाचिज लिमिटेड और एचएमटी बेयरिंग्स लिमिटेड को बंद करने का निर्णय लिया है। सरकार ने भारी उद्योग विभाग के अंतर्गत इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड की कोटा यूनिट और एचएमटी लिमिटेड की ट्रैक्टर डिवीडन को भी बंद करने का निर्णय लिया है। इसके बाद इन सीपीएसई/यूनिटों ने सरकार के निर्णय के अनुपालन में अपना संचालन बंद कर दिया है।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने भारी उद्योग विभाग के अंतर्गत निम्नलिखित केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों नामतः ब्रिज एंड रूफ कंपनी लिमिटेड, स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड, भारत पंप्स तथा कंप्रैशर्स लिमिटेड, हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट्स लिमिटेड के रणनीतिक विनिवेश और दो चरणों में नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से रणनीतिक क्रेताओं को सीमेट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की यूनिटों की रणनीतिक बिक्री, जहां यह विधिक रूप से अनुमत है, के लिए भी सैद्धांतिक अनुमोदन दिया है। इसने इसके समान स्तर वाले सीपीएसई के साथ इंजिनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड के विलय को भी सैद्धांतिक अनुमोदन दिया है। विनिवेश और लोक परिसम्पति प्रबंधन विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार अपेक्षित कार्रवाई आरम्भ की गई है।

(ख) और (ग): जैसा कि उपर्युक्त (क) में उल्लिखत किया गया है, बंद किए जाने हेतु अनुमोदित सीपीएसई/इकाइयों ने प्रचालन बंद कर दिया है। इनके बंदीकरण के समय इन यूनिटों में करीब 3700 कर्मचारी थे। इन कर्मचारियों को उन सीपीएसई में विद्यमान 1992/1997 के वेतनमानों की तुलना में वर्ष 2007 के अनुमानित वेतनमान के अनुसार आकर्षक स्वैच्छिक सेवानिवृत योजना (वीआरएस)/स्वैच्छिक पृथक्कीकरण योजना (वीएसएस) की पेशकश की गई थी। 125 कर्मचारियों के साथ हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड की नैनी यूनिट को नेशनल एरोनॉटिक्स लिमिटेड (एनएएल), रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की एक अनुषंगी में स्थानान्तरित कर दिया गया है।

सीपीएसई के बंदीकरण और उनकी चल और अचल आस्तियों पर अब तक हुई प्रगति की स्थिति रिपोर्ट अनुबंध में है। बंदीकरण हेतु अनुमोदित सीपीएसई का अंतिम बंदीकरण/वाइंडिंग अप कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया बनाकर किया जाएगा।

******

अनुबंध

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम	वीआरएस/वीएसएस की स्थिति	चल आस्तियों का निपटान	अचल आस्तियों का निपटान
1.	तुंगभद्रा स्टील प्रॉडक्ट्स लिमिटेड	पूरा हो चुका है।	पूरा हो चुका है।	मालप्रभा मिनी हाईडल प्रोजेक्ट को कर्नाटक सरकार के एक उद्यम, केपीसीएल को सौंप दिया गया है। मंत्रिमंडल ने दिनांक 10.01.2018 को होस्पेट भूमि को कर्नाटक राज्य सरकार को हस्तांतरित करने के लिए प्रस्ताव का अनुमोदन किया है।
2.	एचएमटी बेयरिंग्स लिमिटेड	पूरा हो चुका है।	पूरा हो चुका है।	भूमि प्रबंधन एजेन्सी (एलएमए) द्वारा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान की पहचान इसकी हैदराबाद भूमि हेतु भावी क्रेता के रूप में की गई है।
3.	एचएमटी वाचिज लिमिटेड	पूरा हो चुका है, 813 कर्मचारियों को वीआरएस देकर कार्यमुक्त किया गया जबकि दो को निलंबित कर दिया गया है। तथापि, रानीबाग में 146 कर्मचारियों ने वीआरएस नहीं लिया और रिट याचिका के साथ उच्च न्यायालय गए। स्थगन आदेश मिला।	रानीबाग को छोड़कर, पूरा हो चुका है। उच्च न्यायालय ने प्रक्रिया रोक दी है।	सरकार ने इसरो को बैंगलोर और तुमकुर में भूमि और भवनों की बिक्री/हस्तांतरण के लिए प्रस्ताव अनुमोदित किया। बैंगलौर में गेल को एक एकड़ भूमि की बिक्री का अनुमोदन भी दिया। कंपनी की रानीबाग भूमि के लिए कोई बोलियां प्राप्त नहीं हुई है। एलएमए ने रानीबाग भूमि के लिए बोलियां आमंत्रित करते हुए पुनः निविदा प्रकाशित की है, जिसे कर्मचारियों द्वारा दायर लंबित रिट याचिका में उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद हस्तांतरित किया जाएगा।
4.	एचएमटी चिनार वाचिज लिमिटेड	पूरा हो चुका है।	पूरा हो चुका है।	श्रीनगर में भूमि और भवन राज्य सरकार को लौटा दिए गए हैं।
5.	हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड	पूरा हो चुका है।	बोली पूरी हो चुकी है।	एचसीएल के पास पश्चिम बंगाल में कोलकाता, रूपनारायणपुर, नरेन्द्रपुर, तेलंगाना में हैदराबाद, इलाहाबाद के समीप नैनी और नई दिल्ली में अचल आस्तियां हैं। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने हैदराबाद में 115 एकड़ भूमि की बिक्री हेतु पहचान की है। एलएमए ने अन्य भूमि और अचल आस्तियों के लिए बोलियां आमंत्रित करते हुए पुनः निविदा प्रकाशित की है।
6.	एचएमटी लिमिटेड (ट्रैक्टर डिवीजन)	1000 में से 850 कर्मचारियों को वीआरएस पर कार्यमुक्त कर दिया गया है। 150 कामगारों ने वीआरएस नहीं लिया है और वे उच्च न्यायालय पहुँच गए हैं। इस बीच, उनकी सेवाओं को 24.1.2018 से समाप्त कर दिया गया और औदियोगिक विवाद अधिनियम के अनुसार अंतिम क्षतिपूर्ति का भुगतान कर दिया गया।	ट्रैक्टर प्लांट को पट्टे पर दिया जाना है। रुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित की गई हैं। कुल 8 प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई हैं। इसके लिए आरएफपी/एनआईटी लाया गया है जो कि 28.02.2018 को समाप्त हो रहा है।	वर्तमान में 446 एकड़ भूमि प्रयोग में नहीं है जिसे आपसी सहमति से मुआवजा देकर हरियाणा सरकार को हस्तांतरिया किया जाना है।
7.	इंस्ट्रूमेन्टेशन लिमिटेड कोटा यूनिट	पूरा हो चुका है।	कुछ फर्नीचर और आईटी उपकरण जो प्रयोग में नहीं हैं, के अलावा पूरा हो चुका है।	कंपनी की कई जगह अचल आस्तियां हैं। एलएमए ने भावी क्रेताओं से बोलियां आमंत्रित करते हुए पुनः निविदा प्रकाशित की हैं। जयपुर में पट्टे की भूमि को राज्य सरकार को वापस की जाएगी।

****